राज्य सरकार ने जानवरों को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया है : मरियम अबु हैदरी

आरटीआई एक्टिविस्ट के सवाल पर पशुपालन विभाग के जवाब से हुआ खुलासा

- विभाग ने जवाब में बताया कि राज्य पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है, लेकिन ना तो कोई बजट आवंटित नहीं है, ना बोर्ड की काई बैठक आयोजित की गई और कोई कर्मचारी भी नहीं है
- जवाब में यह भी मालूम पड़ा कि बोर्ड की पिछली बैठक 2016 में हुई थी और आगामी बैठक अगले महीने होगी

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्यों को पशु कल्याण बोर्ड स्थापित करने का निर्देश जारी किये दशकों हो गये हैं, मगर राजस्थान को अभी भी इसके लिये जगह और बजट उपलब्ध करवाने की शुरूआत करनी है। राजस्थान में राज्य पशु कल्याण बोर्ड को पिछले पांच वर्षों में बजट आवंटित नहीं किया गया है और न ही इसने जानवरों के खिलाफ किसी भी क्रूरता के मामले में भाग लिया है।

मार्च 2022 में पशु अधिकार कार्यकर्ता मरियम अबु हैदरी ने पशुपालन विभाग के साथ सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन दायर कर बोर्ड के गठन, आवंटन बजट और उनके लिये तैनात अधिकारियों के बारे में विवरण मांगा। 9 मई को उत्तर मिला कि राज्य पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है, लेकिन ना तो कोई बजट आवंटित नहीं है, ना बोर्ड की काई बैठक आयोजित की गई और कोई कर्मचारी भी नहीं है।

2020 में पशु कार्यकर्ता गौरी मौलेखी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर राज्य पशु कल्याण बोर्ड के गठन और उनके उचित कामकाज की मांग की। मौलेखी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यात्मक राज्य पशु कल्याण बोर्ड स्थापित करने का नोटिस जारी किया।

मरियम ने कहा कि बोर्ड और एसपीसीए से राज्य और जिला स्तर पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, पशु कल्याण को बढ़ावा देने और जानवरों को पीड़ा से बचाने की अपेक्षा की जाती है। आरटीआई आवेदन ने केवल मेरी चिंताओं की पुष्टि की कि जानवरों को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है और केवल पशु प्रेमी नागरिक ओर खराब वित्त पोषित पशु कल्याण संगठन ही उनके साथ खड़े हैं। यह हमारी सरकार की स्थिति है और जानवरों के कल्याण के लिये कोई बजट क्यों नहीं आवंटित किया जाता है। पशु क्रूरता निवारण समिति जिला स्तर पर कार्य करती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य सरकार, कल्याण बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों को लागू करने और जानवरों के खिलाफ अपराधों की जांच करने में सहायता करें।

मरियम कहती है कि मेरे आरटीआई आवेदन के जवाब में पशुपाल विभाग ने कहा कि राज्य पशु कल्याण बोर्ड कार्यात्मक है और यहां तक कि इसके कुछ अधिकारियों को सूचीबद्ध भी किया है। हालांकि बजट और बैठकों के आवंटन के बिना वे कैसे दावा कर सकते हैं कि बोर्ड काम कर रहा है? मैं जानना चाहती हूं कि विभाग क्या कर रहा है, जानवरों के कल्याण के लिये भी कुछ करेगा या यह केवल पोल्ट्री और डेयरी उद्योग के लिये व्यापार पैदा करने के लिये है। बोर्ड के सदस्यों में से एक ने मरियम को बताया कि एक कार्यालय तैयार किया जा रहा है और अगली बैठक अगले महीने होगी।

हमें चौधरी कुम्भाराम आर्य के पद्चिन्हों पर चलना होगा : सुचित्रा आर्य

जयपुर, (का.सं.)। किसान घाट पर किसान नेता चौधरी कुम्भाराम आर्य को उनकी (10 मई)108 वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।

विचार गोष्ठी में उद्बोधन रखते हुवे आज़ाद समाज पार्टी प्रभारी सत्यपाल ने नमन करते हुए कहा कि उनके योगदान की स्मृति शोषितों और वंचितों के मनमस्तिष्क में घूम रही है; आरक्षण से वंचित रह गई कई दलित जातियों को जुड़ाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई थी, वे सामाजिक न्याय के योद्धा थे। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेन्ट बोर्ड उपाध्यक्ष सुचित्रा आर्य ने कहा हमें आर्य के पद्चिन्हों पर चलना पड़ेगाा अगर आप जाति पाति, धर्म में विभक्त हुए तो एक दूसरे का विश्वास खो कर निर्बल एवं आत्मद्रोही बन जाओगे; ऐसी स्थिति कृषक वर्ग को विनाश के चौराहे पर ले जायेगी इसलिए इस साम्प्रदायिक वैमनस्यता के दौर में आपको सम्भलने की आवश्यकता है!

स्व.कुम्भाराम आर्य के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अपने आपको कर्तव्य दृष्टी से खुद को भारी संकटो में डालता उसको अपने संकटों को पार करने के लिए असाधरण शक्ति भी मिल जाती है। आर.एल.डी. प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सहारण ने भूमि सुधार अधिनियमों का जनक बताते कहा आर्य साहब के विचारों को युवाओं को आत्मसात करना चाहिए।

जयपुर में मंगलवार को किसान घाट पर किसान नेता चौधरी कुम्भाराम आर्य को उनकी (10 मई)108 वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।

इस दौरान उपस्थित रहे चौधरी कुम्भाराम आर्य के पौत्र पूर्व प्रधान विशुपाल आर्य, पूर्व आई.पी.एस. बी.आर. ग्वाला, महावीर चक्र विजेता जिगेन्द्र सिंह, एन.एस.यू.आई. के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, आज़ाद समाज पार्टी के सुनील भिंडा, महावीर चक्र विजेता जिगेन्द्र सिंह ,पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव धूप सिंह पुनिया, दीपक नेहरा, व्यवसायी राजेश डूकिया, आज़ाद समाज पार्टी के सुनील भिंडा, पूर्व जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष श्रीराम बेनीवाल, प्रवीण आर्य, रमेश पुनिया, पूर्व प्रधान अमिलाल मेघवाल, सतवीर कस्वां सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

रोटरी क्लब जयपुर रॉयल ने जर्जर विद्यालय भवन का नवनिर्माण किया

शिक्षा मंत्री बी.डी.कल्ला ने मंगलवार को जयपुर के पास कानोता में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीनीकृत भवन का उद्घाटन किया।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने जयपुर के पास कानोता में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीनीकृत भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन का नवनिर्माण स्थानीय रोटरी क्लब जयपुर रॉयल द्वारा किया गया है।

मुख्य अतिथि के रूप कल्ला ने रोटरी क्लब के सेवा कार्यों की प्रशंसा की तथा इस विद्यालय को सरकार की और से पांच और कमरे देने की घोषणा की। क्लब के अध्यक्ष हरीश खत्री ने बताया कि विद्यालय परिसर जर्जर अवस्था में था। वर्षा ऋतु में छतों से पानी कक्षा में आता था तथा बालिकाएं पढ़ नहीं पाती थी।

पूर्व रोटरी प्रांतपाल रमेश अग्रवाल द्वारा रोटरी इंटरनेशनल से इस विद्यालय के भवन के लिए 24 लाख रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत करवाया गया। चालू सत्र में पूरे भवन का नवीनीकरण किया गया जिसमें छत तथा कमरों की मरम्मत, बरामदे में कोटा स्टोन का फर्श, नए टॉयलेट,,पेयजल स्टेशन का निर्माण, नया कक्षा फर्नीचर, वॉलीबॉल तथा बैडमिंटन कोर्ट तथा खेल सामग्री उपलब्ध करवाना शामिल है।

परियोजना चेयरमैन राकेश गुप्ता ने क्लब के द्वारा की जाने वाली विभिन्न सेवा गतिविधियों की जानकारी दी। आईआईएस यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ अशोक गुप्ता विशिष्ठ अतिथि थे तथा अध्यक्षता रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन अशोक मंगल ने की। मंच संचालन प्रबोध जैन ने किया।

स्थानीय विधायक लक्ष्मण मीणा ने भी रोटरी क्लब का शिक्षा के क्षेत्र में किये गए इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विनोद कपूर, रतन सिंह अरोरा, रवि कामरा, संदीप ढींगरा, कमल गुलाटी, हेमेंद्र शर्मा, संजय कौशिक, मोहनीश मेहरा, बिष्नु बिरला, वी.के. गुप्ता, विजय राजोरिया, पी.सी. मित्तल, अजोय कल्ला, डी.डी. सोनी, जी एल खुराना, जे.पी. मल्होत्रा, राजेंद्र प्रधान, रमेश चंद गोयल, परेश तनेजा, भरत मखीजा, विजेंद्र मित्तल, सुशील गोयल, अर्चना खत्री तथा सुमन नारंग मौजूद थे। विद्यालय प्राचार्या विजयलक्ष्मी मीणा द्वारा आगंतुकों का स्वागत किया गया।

महिलाओं, बालिकाओं की चिंता छोड़, राज्य सरकार कांग्रेस के चिंतन शिविर में व्यस्त : बिट्टू

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश में इन दिनों राज्य के जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी का मामला गर्माया हुआ है, रोहित जोशी पर दिल्ली में एक महिला ने बलात्कार, मार-पीट, जान से मारने एवं महिला के साथ दुबारा "भंवरी कांड दोहराने " जैसे आरोप लगा एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है। इस मसले पर सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि " मामला बलात्कार, जान से मारने की धमकी से जुड़ा हुआ है तो वैसे भी गंभीर मसला है।

अभिषेक जैन ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मामले की जानकारी नही होने का बयान दे रहे है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एफ.आई.आर. दर्ज होने से किसी को आरोपी नही मानने का बयान दे रहे है, वही आरोपी रोहित शर्मा के पिता और राज्य जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कानून अपना काम करेगा और निष्पक्ष जांच होने का बयान दे रहे है। किन्तु वाक्य में क्या यह सभी बयान सत्य है, जिस प्रकार की बयानबाजी राज्य में चल रही है उससे साफ प्रतीत होता है कि मामले को दबाया जा रहा है और पूरा फोकस महिलाओं, बालिकाओं की चिंता छोड़, कांग्रेस के चिंतन शिविर में लगाया जा रहा है।

प्रदेश में पांच दिन बाद करोना से एक और संक्रमित की मौत

राज्य में सोमवार को 89 नए संक्रमित मिले, जबकि रविवार को 27 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में मंगलवार को पांच दिन बाद करोना संकमण से एक और मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक इस बीमारी से 9554 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हालाकि इस बीच राज्य में थोड़ी गिरावट के बाद 74 नए मरीज मिले हैं।

- राज्य में मंगलवार को थोड़ी गिरावट के बाद 74 नए संक्रमित मिले हैं।
- पिछले चौबीस घंटे में जयपुर में 41 नए मरीज पाए गए है।

प्रदेश में मंगलवार को करोना से अजमेर जिले में एक संक्रमित की मौत हुई है। इसके साथ ही यहां अब तक 447 लोगों की करोना से मृत्यु हो चुकी है। राज्य में इससे पहले 4 मई को जयपुर में एक संक्रमित की मौत हुई थी। राजधानी में इस बीमारी से अब तक सबसे ज्यादा 2112 मौतों हो चुकी है।

इधर आज प्रदेश में 28 मामले कम आने के साथ ही नए संक्रमितों की संख्या फिर सौ के नीचे आ गई है। इस दौरान राज्य के 8 जिलों में 74 नए संक्रमित सामने आए हैं। इससे पहले सोमवार को 102 रोगी पाए गए थे। आज राजधानी जयपुर में भी थोड़ी गिरावट के बाद 41 नए संकमित मिले हैं। इसके अलावा अलवर व धौलपुर में 11-11, चूरू में 5, सीकर में 3 और गंगानगर, नागौर तथा सवाई माधोपुर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच 25 जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, टोंक और उदयपुर में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है।

प्रदेश में मंगलवार को नए संक्रमितों के बराबर 74 मरीज ठीक हुए हैं। इससे एक्टिव केसों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फिलहाल राज्य में 604 नए संक्रमित है। राजधानी में पिछले चौबीस घंटों में नए संक्रमितों से अधिक रिकवरी होने से 398 एक्टिव केस रह गए हैं।

मानसरोवर में 8 नए संक्रमित मिले

राजधानी जयपुर में मंगलवार को 19 स्थानों पर नए करोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 8 नए मरीज मानसरोवर में पाए गए हैं। इसके अलावा जगतपुरा व सांगानेर में 5-5, जवाहर नगर, मालवीय नगर व प्रताप नगर में 3-3, टोंक रोड इलाके में 2 तथा अजमेर रोड, बस्सी, चांदपोल, झोटवाड़ा, महारानी फार्म, रामगढ़ मोड़, सीतापुरा, सोड़ाला, त्रिवेणी नगर, सी-स्कीम, बापू नगर और गोपालपुरा इलाके में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

प्रशासनिक सुधार विभाग की रोक के बावजूद किये तबादले पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से रोक के बावजूद अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक का तबादला करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव और भूजल विभाग के मुख्य अभियंता से जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश गोपाल प्रसाद शर्मा की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया की प्रशासनिक सुधार विभाग ने गत 23 मार्च को आदेश जारी कर तबादलों पर रोक लगा रखी है। विभाग के परिपत्र के तहत राज्य सरकार के अनुमोदन से ही तबादला किया जा सकता है। अपील में कहा गया की गत 13 अप्रेल को अपीलार्थी का जयपुर से जोधपुर तबादला कर दिया और एक अन्य अधीक्षण भूजल अधिकारी सुनील शर्मा का जोधपुर से जयपुर तबादला कर दिया। अपील में कहा गया की यह तबादला दूसरे अधिकारी सुनील शर्मा को एडजस्ट करने के लिए किया गया है।

- अधिकरण ने एसीएस और भूजल विभाग के मुख्य अभियंता से जवाब मांगा है

नम्बर मिलाइए
9587884433

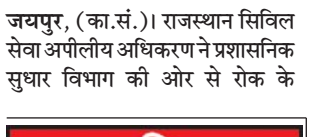

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी

श्री भंवर लाल सैनी

पुत्र स्व.श्री रघुनाथ सैनी का स्वर्गवास दिनांक 9.5.22 को हो गया है जिनकी तीये की बैठक दिनांक 11.5.22 को सायं 5.00 से 6.00 बजे तक निवास स्थान 119, शिव कालोनी, न्यू सांगानेर रोड, श्याम नगर मैट्रो स्टेशन, सोडाला, जयपुर पर रखी गई है।

शोकाकुल- सरोज देवी (पत्नी), रमेश-दीक्षा, प्रदीप-दिव्या (पुत्र-पुत्रवधु), कैलाश, ओमप्रकाश, श्रवण, कमल, विक्की, राजेश (भ्राता), विवान, नक्ष, मानविक (पौत्र) एवं समस्त तंवर परिवार, अनिता-हेमराज जी (पुत्री-दामाद), भाविक (दोहिता)
मो. 9587022302, 9587022301

खोया पाया

JDA की योजना विद्याधर में भू संख्या B-448 का अलॉटमेंट लेटर, पजेशन लेटर, NOC, Tital Resignation Letter खो गया है सूचित करें- मुबारक हुसैन, मो.-8209951922

आम सूचना मेरे अभिभाष्य श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह भूखण्ड संख्या MB-03 (433 Sq. Feet) सुरेन्द्र पाल कॉलोनी लक्ष्मण पथ सोडाला जयपुर में स्थित है। इस भूखण्ड के अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को किसी भी प्रकार कि कोई आपत्ति हो, तो वह आज से अन्दर मियाद 07 दिन की अवधि में मय सबूत अपनी आपत्ति मेरे समक्ष प्रस्तुत करे 07 दिन की मियाद गुजर जाने के बाद किसी भी प्रकार कि आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। दिनांक: 10.05.2022
एडवोकेट सूरज मल शर्मा, मो. : 6378796466

सूचना वाहन संख्या RJ14XH8958 संजय कूलवाल के नाम है। इनकी मृत्यु 27.02.2021 को हो गयी है। इनकी पत्नि सुमन कूलवाल की मृत्यु 30.09.2017 को हो गयी है। यह वाहन इनके पुत्र प्रधुम्न कूलवाल के नाम की जा रही है। किसी को आपत्ति हो तो 7 दिवस में आर.टी.ओ., झालाना, जयपुर संपर्क करें।

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य नासिर खान पुत्र श्री फकीर मोहम्मद खोह नागोरियान, जयपुर द्वारा अपने स्वामित्व के भूखण्ड संख्या 145 स्थित केसर वाटिका आवासीय योजना, खोह नागोरियान, जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज का बेचान करार पवन कुमार शर्मा व दिनेश कुमार सैनी जयपुर के साथ दिनांक 29.07.2019 को किया गया था तथा उक्त क्रेतागण के कहे अनुसार उक्त भूखण्ड संख्या 145 का आवंटन पत्र हेमन्त गोस्वामी पुत्र श्री बाबूलाल गोस्वामी के नाम जारी किया गया था, उक्त भूखण्ड सं. 145 पर आज भी मेरे अभिभाष्य का ही कब्जा है। चूंकि क्रेतागण ने बेचान करार की तय समय सीमा 4 माह गुजर जाने के पश्चात आज दिनांक तक मेरे अभिभाष्य को संपूर्ण विक्रय प्रतिफल की राशि का भुगतान नहीं किया है, जिस कारण मेरे अभिभाष्य ने विक्रय करार दिनांक 29.07.2019 को निरस्त कर दिया है, ऐसी सूरत में उक्त भूखण्ड सं. 145 से अब उक्त क्रेतागण अथवा हेमन्त गोस्वामी का कोई लेना- देना नहीं है, कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी उक्त भूखण्ड सं. 145 केसर वाटिका विस्तार, खोह नागोरियान, जयपुर बाबत कोई संव्यवहार उक्त पवन शर्मा, दिनेश सैनी एवं हेमन्त गोस्वामी से नहीं करें तथा उक्त भूखण्ड सं. 145 की सोसायटी नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के पदाधिकारी उक्त भूखण्ड सं. 145 का आवंटन पत्र किसी अन्य के नाम हस्तान्तरित नहीं करें ना ही इस भूखण्ड के स्वामित्व दस्तावेजात को सोसायटी के रिकॉर्ड पर दर्ज करें अन्यथा मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भवदीय
(अनिल मोहता) एडवोकेट, मो.नं. 9314021355

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 1993/2021
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम (1) श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री भाग्यमल शर्मा (2) विष्णु शर्मा पुत्र श्री भाग्यमल शर्मा जाति ब्राह्मण
विवाद स्थान एफ-11, सी-ब्लॉक महेश नगर, 8 फिट रोड के पास, टोंक फाटक, जयपुर (राज.)
मृतक श्री भाग्यमल शमर्मा की सम्पत्ति के विषय में पेशी दिनांक- 26/7/22
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्री भाग्यमल शर्मा पुत्र जगन्नाथ शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी एफ-11, सी-ब्लॉक महेश नगर, 8 फिट रोड के पास, टोंक फाटक, जयपुर (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 26 माह 7 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 5 माह 5 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीगण ने मृतक भाग्यमल शर्मा के प्रा.पत्र में वर्णित म्यूचल फण्ड की राशि प्राप्त करने बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

नाम परिवर्तन
मेरे समस्त दस्तावेजात में कहीं पर मेरा नाम सुरेश पुत्र लेख राम, कहीं पर सुरेश कुमार पुत्र लेख राम, कहीं पर सुरेश कुमार वशिष्ठ पुत्र लेखराम दर्ज है ।यह तीनों नाम मेरे ही हैं। मेरे इन तीनों नामों से जाना व पहचाना जाने तथा मेरे नाम की प्रमाणितकरण के लिए यह सूचना प्रकाशित करवाई है। सुरेश कुमार वशिष्ठ पुत्र श्री लेखराम ब्राह्मण निवासी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला (सीकर) राजस्थान

I Dharmendra Singh Chauhan R/o S-7, Hawa Sadak, Behind SBI, Civil Lines, Jaipur-6, Have Changed My Daughters Name From Rajvi to Rajvi Chauhan

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015
773/22/2/22 **Case No.: OA/703/2021**
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Proedure) Rules, 1993.
STATE BANK OF INDIA Exh. No.: 4851
VS
MS SURYA KOTI GLOBAL MERCHANT
To,
(1) MS SURYA KOTI GLOBAL MERCHANT
D/W/S/O- SHAKTI SINGH GAUR
FACTORY AT- ROAD NO. 17, NEAR POLICE STATION, AKEDA DUNGAR VKIA Jaipur, RAJASTHAN-302013
Alsot At, R/O 4B, A8, MONILEK MARG, NEAR MONILEK HOSPITAL JAWAHAR NAGAR JAIPUR, RAJASTHAN-302004
SUMMONS
WHEREAS, OA/703/2021 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 20.01.2022.
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 2778413/- (application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :-
(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted. (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application. (iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties. (iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and / or other assets and properties specified of disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal. (v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 12.05.2022 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 21.02.2022.
Seal
Registrar
Debts Recovery Tribunal, Jaipur